Seventeenth Loksabha

>

Ttile: Regarding non-acceptance of coins by the banks in Domariyaganj Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । किसी देश की मुद्रा का प्रचलन चाहे उसके रुपये हों, सिक्के हों, इसकी एक रेग्युलेटरी बॉडी होती है । इस देश के बाजारों में, समाज में जो नोट व सिक्कों का चलन है, उसकी रेग्युलेटरी अथॉरिटी आरबीआई है । उन्होंने वैधानिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि ये-ये नोट और एक रुपये का सिक्का व दस रुपये का सिक्का पूरे बाजारों में, गाँवों में वैधानिक रूप से है और इनका चलन है । अब गाँव का गरीब या गाँव का आम किसान उन सिक्कों को लेकर छोटे व्यापारियों या दुकानदार के पास जाकर सामान लेता है । फिर वह दुकानदार दस-पन्द्रह हजार के सिक्के अगर बैंक में जमा करने जा रहा है, चाहे वह सिद्धार्थ नगर हो, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के या तमाम जनपदों में बैंकों में वे सिक्के नहीं लिए जा रहे हैं । आखिर यह एक रुपये व दस रुपये के सिक्के आरबीआई की वैधानिक मुद्रा है । छोटे आदमियों के बीच में इसी सिक्के का चलन है, लेकिन इसके बावजूद बैंक वाले कहते हैं कि हमारे पास कर्मचारी नहीं हैं, दस-पन्द्रह हजार के सिक्के हम गिनेंगे नहीं । अब छोटे कर्मचारी भी नहीं ले रहे हैं । एक इतना बड़ा सवालिया निशान लग गया है और आम आदमी के सामने एक गम्भीर कठिनाई पैदा हो गई है । जिला प्रशासन से जब बात कही जाती है तो जिला अधिकारी की तरफ से भी बयान आता है कि यह पूरी तरह से वैध है । इन सिक्कों का चलन है, कोई इन सिक्कों को लेने से मना नहीं करेगा, चाहे वह दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बैंकर्स हों । लेकिन प्रशासनिक निर्देशों के बावजूद भी, कार्रवाई का हवाला देने के बावजूद भी एक और दस रुपये के सिक्के जमा नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण यह कठिनाई है । मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार कोई ऐसा निर्देश जारी करे, यह सिक्के हमारी वैधानिक मुद्रा है, इनको बैंकर्स जमा तथा स्वीकार करें । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : श्री नारणभाई काछड़िया और डॉ. निशिकांत दुबे को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।